भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या801

जिसका उत्तपर 21 जुलाई2016 को दिया जाना है ।

नमामि गंगे योजना

801. श्री दुष्यंत सिंह:

श्रीमती मीनाक्षी लेखीः

क्या **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जा रही पहलों और परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) इस परियोजना की शुरुआत से इसके अन्तर्गत आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसमें क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं;

(घ) 2014 और इससे पहले के स्तरों की तुलना में वर्तमान में गंगा नदी के प्रदूषण स्तर में गिरावट का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) संबंधित राज्यों में इस परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी के तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (सुश्री उमा भारती)

(क) गंगा नदी के सफाई संबंधी पहले के कार्यक्रमों में अपना ए गए दृष्टिकोण में कमियों को ध्या न में रखते हुए यह आवश्यंक समझा गया था कि आयोजना की इकाई के रूप में नदी बेसिन पर आधारित एक नई समग्र दृष्टिकोण और सांस्थागनिक पुन: डिजाइन को अपनाने की आवश्यरकता है। इसके अतिरिक्तग़2014 में नमामि गंगे (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तहत एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन/कार्यक्रम) कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नमामि गंगे मिशन की अभिकल्पिना एक अम्ब्रेहला कार्यक्रम के रूप में की गई है जिसका लक्ष्यक दक्षता को बढ़ाकर , सहकार्यों को पूरा कर पूर्ववर्ती और वर्तमान में किए जा रहे पहलों को एकीकृत करना और उन्हें ा और अधिक व्यासपक एवं बेहतर समन्वित गतिविधियों के साथ सहायता देना है।

(ख) 30 जून, 2016 तक नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 53 शहरों में 8588.21 करोड़ रूपए की अनुमानित परियोजना लागत से 97 परियोजनाएं (एनजीआरबीए कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत वर्तमान

परियोजनाओं सहित) स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 12 परियोजनाएं 351.42 करोड़ रूपए की स्वीकृत लागत से नमामि गंगे कार्यक्रम के नए घटकों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। 97 परियोजनाओं में से 32 पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

- सीवरेज और स्वच्छताः 808.23 एमएलडी के नए एसटीपी स्थापित करने तथा 1089.00 एमएलडी की एसटीपी क्षमता का पुनरूद्धार करने और 3627.15 किमी. का सीवर नेटवर्क बिछाने/पुनरूद्धार करने के लिए 58 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 7 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं जिनसे 126.5 एमएलडी की एसटीपी क्षमता सृजित की गई और 833.24 किमी. सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया।
- नदी तट विकासः 28 नदी तट विकास परियोजनाएं जिनमें घाट, शवदाहगृह, सार्वजनिक एवं नदी इंटरफेस तथा प्रोमीनेड बनाना शामिल है। इनमें से 24 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
- गंगा नदी की जल गुणवत्ता निगरानी के संबंध में 3 परियोजनाएं।
- गंगा सूचना केन्द्र के संबंध में 2 परियोजनाएं।
- विद्यालयों और समुदायों को गंगा नदी की डॉल्फिन के संरक्षण के लिए जागरूक बनाने हेतु एक परियोजना।
- "गंगा नदी के लिए वानिकी प्रयासों " के संबंध में डीपीआर तैयार करने हेतु एक परियोजना पूरी की गई।
- गंगा नदी की विशेषता को समझने के लिए जल गुणवत्ता के आकलन एवं गाद के विश्लेषण के संबंध में एक परियोजना।
- उपयुक्त संरक्षण एवं पुनरूद्धार योजना बनाने के लिए गंगा नदी प्रणाली में मछलियों एवं मत्स्यपालन के आकलन के संबंध में एक परियोजना।
- झारखंड में गंगा संरक्षण के लिए ग्रामीण स्वच्छता प्रयासों के संबंध में एक परियोजना-यूएनडीपी।
- जैव-विविधता संरक्षण एवं गंगा संरक्षण के संबंध में एक परियोजना डब्ल्यूआईआई को दी गई।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य प्रयास निम्नानुसार हैः

- प्रारंभ में 6 शहरों नामत: मथुरा-वृंदावन , कानपुर, इलाहबाद, वाराणसी, पटना और नई दिल्लीा में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ट्रैश स्कीमरों द्वारा "नदी सतह और घाट सफाई " कार्यक्रम शुरू किया गया है।
- 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट नामतः वाप्कोस , ईआईएल, एनबीसीसी, एनपीसीसी, ईपीआईएल को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में उनकी नदी स्ट्रेचों में नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कंडीशन असेसमेंट और फीजिबिलिटी स्टडी और प्रविष्टि स्तर के कार्यकलापों को करने के लिए हाल ही में काम पर लगाया है। अब तक 59 शहरों का सर्वेक्षण किया गया है और 27 प्री-फिजीबिलिटी रिपोर्ट तैयार और प्राप्त की गई है। प्रविष्टि स्तर के कार्यकलापों के अंतर्गत किए गए अन्य कार्यकलापों में घाटों की मरम्मत और आधुनिकीकरण , जन सुविधाओं की व्यवस्था, ग्राम

स्तर का ड्रेन (बीएलडी) उपचार, शवदाहगृह की मरम्मत और आधुनिकीकरण शामिल है। सर्वेक्षण में 1242 घाटों, 369 शहदाहगृहों और 411 वीएलडी को पहचाना गया है और इनमें से ईएससी द्वारा अभी तक 191 घाटों और 64 शवदाहगृहों की सिफारिश की गई है।

- सरकार ने गंगा नदी में शहरी नालों से निस्सदरण रोकने के क्रम में शहरों/नगरों में कचरा प्रबंधन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। प्रभावी और नियमित सीवेज प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की हाईब्रिड एन्वि।टी व्यऔवस्थाज के तहत निजी अभिकरणों को शामिल करने की योजना है। सरकार ने गंगा नदी में नाला से निस्स रण के होने का स्वजस्था ने शोधन संबंधी प्रदर्शनात्ममक परियोजनओं को शुरू करने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी प्रदाताओं से प्रस्ताव आमंत्रित किया है।
- वाराणसी में घाट सफाई संबंधी परियोजना प्रतिवर्ष 5 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर वाराणसी नगर-निगम को सौंपी गई।
- मौजूदा एसटीपी का पुनरूद्धार एवं अपग्रेडेशन
- गंगा नदी के किनारों के अभिज्ञात 1657 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण स्वाच्छपता सुविधा का सृजन पेयजल एवं स्वाच्छत्रता मंत्रालय की सहायता से शुरू किया गया है। जून, 2016 के अंत तक इंडियन हाऊस होल्डदस लेट्रिन (आईएचएचएल) का 24.58% पूरा कर लिया गया है। गंगा के किनारे स्थित कुल 4257 गांव में 979 गांवों को खुले में शौच से मुक्त गांव के रूप में घोषित किया गया है। एमडीडब्यूके एस को 263 करोड़ रूपए का अधिकार पत्र जारी किया गया है।
- यूएनडीपी को झारखंड में गंगा के किनारे स्थित 78 गांवों में (क) बेहतर स्वच्छ।ता (ख) आजीविका गतिविधि से जुड़ी स्वपच्छ ता (ग) क्षमता निर्माण के लिए गंगा संरक्षण संबंधी ग्रामीण स्व च्छता पहल झारखंड संबंधी कार्य से जोड़ा गया है।
- गंगा ग्राम विकास संबंधी दिशा-निर्देशों (आईएचएचएल से संबंधित गतिविधियों, विकेन्द्रीसकृत अपशिष्ट शोधन, जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण आदि) को प्रकाशित और वितरित किया गया है।
- वन अनुसंधन संस्थाकन (एफआरआई), देहरादून को 'गंगा संरक्षण संबंधी वन गतिविधियां ' संबंधी डीपीआर के विकास से जोड़ा गया था। डीपीआर का मुख्यम उद्देश्यू इस तरह से वन रोपण करना है कि नदी बहाव बेहतर हो सके और जैव विज्ञानीय फीडर किया जाए। गंगा किनारे के संबंधित पांच राज्योंक के वन विभागों से प्राप्त् वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के आधार पर वर्ष 2016-17 के लिए प्रथम चरण में गंगा नदी के किनारों पर 2700 हेक्टेायर क्षेत्र के वन रोपण की सिफारिश ईएससी द्वारा की गई है। इनमें से 1580 हेक्टेायर क्षेत्र वन रोपण (औषधीय पौधों पर ध्याान देते हुए) मात्र उत्त राखंड में ही कर लिया जाएगा।
- 764 जीपीआई में से 508 में संस्थाापित सीपीसीबी तत्कावल समय बहिस्राव निगरानी केन्द्रों के सहयोग से गंगा नदी के किनारों पर स्थित विशेष स्थरलों पर जल गुणवत्ताी की तत्का ल समय निगरानी।

- आईआईटी संघ को विभिन्नर शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन कार्य योजनाओं के विकास का कार्य सौंपा गया है।
- चर्म उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्टए की समस्या का समाधान करने के लिए जाजमऊ में 100 एमएलडी सीईटीपी के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार करना , रूमा, फरूखाबाद, भदोही, पिलखुआ और मथुरा में पांच टेक्सरटाइल कलस्टररों के लिए सीईटीपी हेतु डीपीआर तैयार की जा रही है।
- गंगा नदी में नालों से गिरते गंदे पानी के शोधन के लिए नवीन प्रौद्योगिकियों को जोड़ने हेतु प्रस्ताहव आमंत्रित किए गए है।
- इसके अतिरिक्तै, नदी के स्वाधस्य्वी को बेहतर बनाने के लिए अन्यत कार्रवाई बिंदुओं जैसे मॉडल धोबी घाटों को विकास चारथाम यात्रा और गंगा सागर में जन सुविधाओं का विकास , गंगेटिक जलीय जीवन की विविधता के संरक्षण को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है।

(ग) इस परियोजना की शुरूआत से इसके तहत आबंटित और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नाीनुसार है-

दिनांक 13.07.2016 तक राष्ट्रीकय गंगा सफाई मिशन की शुरूआत से गंगा की सफाई पर अब तक आबंटित और खर्च की गई निधि।			
			करोड़ रूपए में
वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	भारत सरकार द्वारा वास्तसविक व्यसय
2011-12	500.00	216.61	192.58
2012-13	512.50	193.50	191.52
2013-14	355.00	309.00	303.95
2014-15	2,137.00	2,053.00	326.00
2015-16	2,750.00	1,650.00	1,632.00
2016-17	2,500.00		
कुल	**8,754.50**	**4,422.11**	**2,646.05**

(घ) गंगा नदी के प्रदूषण स्तटर में निम्नाानुसार गिरावट पाया गया है-

- 57 स्थलों पर गंगोत्री से डायमंड हार्बर तक सीपीसीबी द्वारा गंगा नदी की जल गुणवत्ता निगरानी का कार्य किया जा रहा है।
- वर्ष 2011 से 2015 तक अधिकतर स्थ लों पर नदी जल गुणवत्तात को डीओ के लिए स्नाुन करने संबंधी मानदंड के अनुरूप पाया गया है।
- स्नाान जल गुणवत्ताा मानदंड के अनुपालन की स्थिति का विवरण निम्नागनुसार है-

वर्ष	मैन्यूनअल निगरानी स्थ्लों की संख्यान			मैन्यूनअल निगरानी स्थ्लों की संख्यान		
	उपलब्धन आंकड़ा	बीओडी के लिए स्ना न मानदंड को पूरा करना (<3 एमजी/एल)	% अनुपालन	उपलब्धर आंकड़ा	एफसी के लिए स्नालन मानदंड को पूरा करना (<2500 एमपीएन / 100 मी.ली.)	%अनुपालन
2011	53	29	54.72	54	20	37.04
2012	55	28	50.91	49	17	34.69
2013	55	30	54.55	46	20	43.48
2014	50	28	56.00	40	11	27.50
2015	54	34	62.96	43	15	34.88

आंकड़ा विश्लेमषण यह दर्शाता है कि बीओडी के संबंध में अनुपालन सुधर रही है। तथापि फिकल कॉलिफार्म की अनुपालना घट रही है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ एवं सीसी) द्वारा अधिसूचित नदियों में स्नाुन क्षेत्रों के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड का विवरण**अनुलग्नाक-I** में दिया गया है।

(ङ) गतिविधियों की प्रभावी निगरानी महत्वनपूर्ण कार्यक्रम है। निगरानी संबंधी कमजोर तंत्र की चुनौतियों का सामना करने, आंकड़ा संग्रह और विश्लेरषण के लिए केन्द्रीय मंच की कमीनिगरानी संबंधी आधुनिक प्रौद्योगिकियों के अपर्याप्त उपयोग आदि की समस्याि का समाधान करने के लिए नमामि गंगे के कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय गंगा निगरानी केन्द्र स्थाापित किया जाना प्रस्तारवित है। राष्ट्रीय दूरसंवेदी केन्द्र् और भूवन-गंगा वेब पोर्टल एवं मोबाईल ऐप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। भूवन-गंगा वेब पोर्टल का उपयोग सहायता निर्णय लेने और आयोजना के लिए एक टूल के रूप में किया जाता है।

एनजीआरबीए के ढांचें के अनुसार केन्द्रस सरकार परियोजनाओं के मूल्यां कन और परियोजना कार्यान्वतयन हेतु आवश्यकक निधि जारी करने के लिए जिम्मे वार है। परियोजनाओं की निगरानी संबंधित राज्य् राज्यु परियोजना प्रबंधन समूहों नामत: उत्त्राखंड , उत्तनर प्रदेश बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल द्वारा की जाती है और राष्ट्रीूय स्व च्छ् गंगा मिशन को वास्तउविक मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुूत की जाती है।

*****

अनुलग्नक-I

लोक सभा में दिनांक 21.07.2016 को उत्तार दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्नर संख्याम 801 के उत्तदर में उल्लिखित अनुलग्न्क

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा नदी में स्नान क्षेत्र के लिए प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड अधिसूचित किया गया है

मानदंड	तर्कसंगतता
1. फिकल कॉलिफार्म (एमपीएन/100मी.लि): 500 (वांछित) 2500 (अधिकतम अनुमत्य)	कम सीवेज संदूषण सुनिश्चित करने के लिए फिकल कॉलिफोर्म और फिकल स्ट्रेप्टोकोक्सी पर विचार किया गया चूकिं वे बैक्टीरियल पेथोजेनेसिटी के रुप में प्रतिबिंबित होते है।
2. फिकल स्ट्रेप्टोकोक्सी (एमपीएन /100मी.ली): 100 (वांछित) 500 (अधिकतम अनुमत्य)	पर्यावरण स्थिति में उतार-चढ़ाव जैसे मौसमी परिवर्तन, प्रवाह की स्थिति में परिवर्तन आदि के लिए वांछनीय और अनुज्ञेय सीमा को अनुमति देने हेतु सुझाव दिया गया है ।
3. pH : 6.5-8.5 के बीच	यह सीमा त्वचा और नाजुक अंगों जैसे आंख , नाक, कान, आदि को सुरक्षा प्रदान करती है, जो खुले में स्नान के दौरान सीधे सामने आ जाते हैं ।
4. घुलित ऑक्सीजन (मी.ग्रा/ली) : 5 अथवा अधिक	5 मिलीग्राम/ली का न्यूनतम घुलित ऑक्सीजन संकेन्द्रन तत्काल अनुप्रवाह में ऑक्सीजन उपभोग करने वाले जैविक प्रदूषण से उचित स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जो कि अवसादों से अनायरोबिक गैसों (अप्रिय गैसों) के उत्पादन को रोकने के लिए आवश्यक है ।
5. जैव रसायनिक ऑक्सिजन(मी.ग्रा/ली) मांग 3 दिन, 27°से. : 3 अथवा कम	जल की 3 मिलीग्राम/ली या कम की बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन की मांगवाले प्रदूषकों से उचित स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और अप्रिय गैसों के उत्पादन को रोकता है।

*****